

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेश कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016  
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755.2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक:- 3/08/2020


क्रमांक 744 /उपां/टीसी/596/नागदा/2018 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट नागदा विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् उपान्तरित भू-उपयोग
1.	2.	3	4	5	6
1.	पाडल्याकला तहसील नागदा जिला उज्जैन	1456 / 2,1460 1456 / 2,1460	2261.80 2261.80	उद्यान वाणिज्यिक एवं प्रस्तावित मार्ग	वाणिज्यिक उद्यान एवं प्रस्तावित मार्ग
		योग:-	10.115 हेक्टर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, उज्जैन को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियों या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

  
(स्वतंत्र कुमार सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

मध्य प्रदेश, भोपाल